

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29.03.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का मूल वादपत्र में राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र में राजीनामा होने के कारण नम्बूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर बाद तुरबीज तकमील दाखिल दफतर ही।

सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

